न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0
प्रकरण संख्या—06/2024
जीसीएमएस पॉर्टल नम्बरः— 2024/6

उनवानः—

दाऊदयाल वगैरा

----- प्रार्थी

बनाम

राज.सरकार

-------------------अप्रार्थीगण

प्रा0पत्र वास्ते दुरूस्त किये जाने निर्णय दिनांक 05.01.2021

उपस्थिति — 1. श्री हरीसिह बघेला एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से

दिनांक 11.11.24

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया कि न्यायालय केसमक्ष उनवानी प्रकरण दाउदयाल बनाम सरकार अधीन धारा 136 एलआर एक्ट प्रकरण संख्या 13/2000 प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 05.01.2021 को हाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो चुकी है। प्रार्थीगण की आराजीयात ख.नं. 779, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 810, 812, 976, 978, 979, 980, 982 कुल किता 18 कुल रकवा 27 वीघा 08 विस्वा ग्राम कल्यानपुर तहसील मनियां जिला धौलपुर में दाउदयाल उर्फ कलुआ, छत्रपाल उर्फ पप्पू, रमेशचन्द उर्फ रामेश्वर, भगवानसिंह पुत्र ताराचंद में भगवान सिंह पुत्र नेकराम है ताराचन्द नही है जो कि एक ही व्यक्ति है , के नामों को दुरूस्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका निर्णय दिनांक 05.01.2021 को हो गया। उक्त निर्णय दिनांक 05.01.2021 में टाईपिंग की भूल से ग्राम धर्मपुरा हो गया है जबकि उक्त विवादित ख.नं. ग्राम कल्यानपुर में स्थित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित खसरा नम्बरान स्थित ग्राम धर्मपुरा के स्थान पर कल्यानुपर किये जाने के आदेश प्रदान कर निर्णय दिनांक 05.01.2021 धर्मपुरा को हटाया जाकर ग्राम कल्यानुपर किया जावे।

प्रार्थना पत्र से संबधित मूल पत्रावली प्रकरण संख्या 13/2020 दाउदयाल बनाम सरकार निर्णय दिनांक 05.01.2021 जिला अभिलेखागार से तलब की गई। मूल पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अधीन 136 एलआर एक्ट एंव निर्णय दिनांक 05.01.2021 का अवलोकन

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

किया। पत्रावली में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा विवादित कृषि भूमि ग्राम धर्मपुरा तहसील व जिला धौलपुर में स्थिति होना अंकित किया है तथा प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित अनुतोष में भी कृषि भूमि स्थित ग्राम धर्मपुरा अंकित किया है तदनुसार ही निर्णय दिनांक 05.01.2021 में खसरा नम्बर 779, 790, 791, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 810, 812, 976, 978, 979, 980, 982 कुल किता 18 रकबा 27 वीघा 08 विस्वा बांके ग्राम धर्मपुरा अंकित किया गया है। अतः उक्तानुसार प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 05.01.2021 में कोई टाइपिंग की गलती नहीं पाते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 11.11.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)